



कार्यालय प्रथम अपील अधिकारी
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष/Phone: 0151-2970064 ईमेल/E-mail: vc@mgsbikaner.ac.in



प.01() मगसिविबी/प्रथम अपील/2022/

श्री भूपसिंह भांभू

7/2 मुक्ता प्रसाद नगर
बीकानेर

24716

बनाम

, 16/12/22

दिनांक :

24/7/17

स्पीड पोस्ट

लोक सूचना अधिकारी

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,
बीकानेर।

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
(प्रकरण संख्या :- 172 प्रथम अपील संख्या 25)

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 01-12-2022 विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 01-12-2022 का अवलोकन किया गया। साथ ही पत्रावली पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। लोकसूचना अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 की पालना में सूचना का संकलन कर बुकलेट रूप में तैयार कर विश्वविद्यालय की वेबसाइट में उचित स्थान पर प्रसारित किया जाए।

(प्रो. विनोद कुमार सिंह)

कुलपति एवं प्रथम अपील प्राधिकारी

o/c

CHAPTER-II RIGHT TO INFORMATION AND OBLIGATIONS OF PUBLIC AUTHORITIES

3. Right to Information. - Subject to the provisions of this Act, all citizens shall have the right to information.

4. Obligations of public authorities. - (1) Every public authority shall—

(a) maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and the form which facilitates the right to information under this Act and ensure that all records that are appropriate to be computerised are, within a reasonable time and subject to availability of resources, computerised and connected through a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated;

(b) publish within one hundred and twenty days from the enactment of this Act,—

(i) the particulars of its organisation, functions and duties;

(ii) the powers and duties of its officers and employees;

(iii) the procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability;

(iv) the norms set by it for the discharge of its functions;

(v) the rules, regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions;

(vi) a statement of the categories of documents that are held by it or under its control;

(vii) the particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof;

(viii) a statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public;

अध्याय 2 सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

3. सूचना का अधिकार.— इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

4. लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं.— (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी—

(क) सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध अपने अभिलेख ऐसी शैली से और प्ररूप में रखेगा जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाये और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अभिलेख जो कम्प्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित हों, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अध्याधीन कम्प्यूटरीकृत किये जाते हैं और विभिन्न प्रणालियों से पूरे देश में नेटवर्क के माध्यम से जोड़े जाते हैं जिससे ऐसे अभिलेखों तक पहुंच सुकर हो जाये;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर —

(i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य;

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(iii) विनियम करने की प्रक्रिया में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही की प्रणाली सम्मिलित है;

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए उसके द्वारा स्थापित सन्धियम;

(v) अपने द्वारा रखे गये या उसके नियंत्रण के अधीन के या उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए उसके कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त नियम, विनियम, अनुदेश, नियमावलियां और अभिलेख;

(vi) अभिलेखों के पत्रगों का विवरण जो उसके द्वारा या उसके नियंत्रण के अधीन रखे जाते हैं;

(vii) किसी ऐसे इन्तजाम की विशिष्टियां जो उसकी नीतियों के बनाये जाने या उनके क्रियान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हो;

(viii) अपने भाग के रूप में या उसे सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठित दो या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बने बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का और इस बारे में कि आया उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता की पहुंच में हैं, विवरण;

- (ix) a directory of its officers and employees;
- (x) the monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations;
- (xi) the budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;
- (xii) the manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;
- (xiii) particulars of recipients of concessions, permits or authorisations granted by it;
- (xiv) details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form;
- (xv) the particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use;
- (xvi) the names, designations and other particulars of the Public Information Officers;
- (xvii) such other information as may be prescribed;
- and thereafter update these publications ever year;
- (c) publish all relevant facts while formulating important policies or announcing the decisions which affect public;
- (d) provide reasons for its administrative or quasi-judicial decisions to affected persons.
- (2) It shall be a constant endeavour of every public authority to take steps in accordance with the requirements of clause (b) of sub-section (1) to provide as much information *suo motu* to the public at regular intervals through various means of communications, including internet, so that the public have minimum resort to the use of this Act to obtain information.
- (3) For the purposes of sub-section (1), every information shall be disseminated widely and in such form and manner which is easily accessible to the public.

- (ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निदेशिका;
- (x) अपने विनियमों में यथा-उपबंधित प्रतिकर प्रणाली को सम्मिलित करते हुए अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक;
- (xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों की और किये गये सवितरणों की रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपनी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट;
- (xii) सहायकी कार्यक्रमों के निष्पादन की शैली, जिसमें आवंटित रकम और ऐसे कार्यक्रमों के हिताधिकारियों का ब्यौरा सम्मिलित है;
- (xiii) अपने द्वारा दी गयी रियायतों, परमिटों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियां;
- (xiv) उसको उपलब्ध या उसके द्वारा धारित सूचना, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गयी हो, के बारे में ब्यौरा;
- (xv) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनमें पुस्तकालयों या अध्ययन कक्षों, यदि जनता के उपयोग के लिए रखे जाते हैं, का कार्यसमय सम्मिलित है;
- (xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;
- (xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाये.
- प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रतिवर्ष अद्यतन करेगा;
- (ग) महत्वपूर्ण नीतियों या विनिश्चयों से संबंधित सभी सुसंगत तथ्य, जो जनता को प्रभावित करते हैं, ऐसी नीतियां बनाते या विनिश्चयों की घोषणा करते समय प्रकाशित करेगा;
- (घ) अपने प्रशासनिक या न्यायिकत्व विनिश्चयों के कारण उनको देगा जो ऐसे विनिश्चयों से प्रभावित हों।
- (2) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इन्टरनेट को सम्मिलित करते हुए संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से नियत अन्तरालों पर जनता को स्वप्रेरणा से यथाशक्य सूचना देने के लिए उप-धारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार कदम उठाने का सतत् प्रयास करेगा जिससे जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के उपयोग का कम से कम सहारा लेना पड़े।
- (3) सूचना (1) के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सूचना व्यापक और ऐसे प्ररूप में प्रकाशित होगी जो जनता की आसान पहुँच में हो।